FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0030 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 13/02/2025 18:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 11/02/2025 **Date To (दिनांक तक):** 12/02/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:43 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 13/02/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 13/02/2025 18:36:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 90 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

      (b) **Address(पता):** TAHSIL KE PECHE AMBA, MEDICAL GALI LIFT SIDE, RAMDYAL JI KE MAKAN ME, MANOHARTHANA

      (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

      Name of P.S (थाना का नाम): MANOHAR THANA **District(State) (जिला (राज्य)):** JHALAWAR(RAJASTHAN)

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** INDAR SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** BADDA BHEEL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 01/01/1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	MOGYABEH HALKA PINDOLA, MANOHAR THANA, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	MOGYABEH HALKA PINDOLA, MANOHAR THANA, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMNIVAS		पिता:CHEETAR LAL BAIRWA	1. HALL PATWARI,PATWAR HALKA PINDOLA,MAHILA THANA,JHALAWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	आरोपी से 4000 रूपये रिश्वती राशि बरामद की	

1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	गई।	

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 11.02.2025 समय 10.00 एएम पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री बद्दा जाति भील उम्र 45 साल निवासी मोग्याबेह पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाङ ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित पार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश की। परिवादी श्री इन्द्रसिंह के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र किसी मिलने वाले से लिखवाना बताया एवं उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि 'मैं गांव मोग्याबेह का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 10 साल से चारागाह भूमि पर खेती करता हुआ आ रहा हूँ, जो करीब 2.5 बीघा है, जिसका सरकार की तरफ से हर साल जुर्माना आता था, जिसे मैं समय पर जमा करवाता था, जिसकी मेरे पसा रसीदें भी है। लेकिन पिछले दो साल से उक्त जमीन का जुर्माना आना बंद हो गया, तो मैं हमारे पिण्डोला हल्का के पटवारी श्री रामनिवास टोडवाल जी मिला तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जमीन का जुर्माना ऐसे चालू नहीं हो तुम्हें खर्चे पानी के 5,000 रूपये देने पङेगें। मेरे पास उस समय 1,000रूपये थे, जो उन्होने ले लिए तथा चार हजार रूपये और लाने को कहा, इस प्रकार हमारे हल्का पटवारी श्री रामनिवास जी मेरे उचित कार्य के लिए 4,000रूपये और रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं उनको मेरे उचित काम के लिए 4,000रूपये रिश्वत नहीं देना चाहता, उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकङवाना चाहता हूँ। मेरी रिपोर्ट पर कार्यवाही करें' । परिवादी श्री इन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 10.30 एएम पर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री इन्द्रसिंह के सामने चेक किया जाकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOXN BL MADE IN CHINA) डालकर परिवादी श्री इन्द्रसिंह को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के क्रम में परिवादी श्री इन्द्रसिंह को आरोपी श्री रामनिवास टोडवाल पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाङ से उसके पेण्डिंग कार्य चारागाह भूमि जमीन के जुर्माना से सम्बंधित रिश्वत मांग की स्पष्ट वार्ता करने एवं उक्त वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने हेतु समझाईस कर कार्यालय के श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को परिवादी के साथ निगरानी हेतु अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से आवश्यक हिदायत देकर मनोहरथाना के लिए रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 04.30 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOXN BL MADE IN CHINA) पेश कर बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व परिवादी श्री इन्द्रसिंह दोनों अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर मनोहरथाना में एक स्थान पर रूके। परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने मुझे बताया कि पटवारी श्री रामनिवास जी मनोहरथाना में ही किराये से दुकान लेकर उसमें अपना ऑफिस चलाते है, जो कुछ दूरी पर ही है । इस पर मैंने परिवादी से कहा कि डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लो पटवारी से अपने पेण्डिंग काम व रिश्वत राशि के सम्बंध में स्पष्ट वार्ता करना मैं तुम्हारे पीछे-पीछे आ रहा हूँ। इस पर परिवादी ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ। मैं उसके पीछे-पीछे कुछ दूरी बनाकर रवाना हुआ। परिवादी एक दुकाननुमा पटवारी के ऑफिस पर जाकर रूका तथा उसके अन्दर चला गया। मैं बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुए दिखाई देने वाले स्थान से देख रहा था। परिवादी दुकान के अन्दर जाकर एक व्यक्ति से वार्ता कर रहा था। कुछ समय बाद परिवादी श्री इन्द्रसिंह, पटवारी के दुकाननुमा ऑफिस से बाहर आया तथा अपनी मोटरसाईकिल स्टार्ट कर अकलेरा रोङ पर कुछ दूरी पर जाकर रूका। मैं भी इसके पीछे-पीछे अपनी मोटरसाईकिल से उसके पास पहुंचा। परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने मुझे बन्द किया हुआ डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि पटवारी श्री रामनिवास टोडवाल जी से मेरी मेरे काम के सम्बंध में व पूर्व में

पटवारी जी को दिये गये 1,000रूपये के बारे में वार्तालाप हुई है तथा पटवारी जी ने कहा कि शेष 4,000रूपये लेकर आना तभी तुम्हारा काम होगा। इस पर मैंने कहा कि पैसों की व्यवस्था नहीं हुई है, मैं कल शेष राशि 4,000रूपये की व्यवस्था कर आपको दे जाऊंगा। तब पटवारी जी ने कहा कि कल पैसे दे जाना तुम्हारा काम हो जायेगा। मैंने वहां से बाहर आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर लिया था। अब मुझे पटवारी जी को 4,000 रूपये देने की व्यवस्था करनी है, मैं कल 4,000रूपयों की व्यवस्था कर एसीबी कार्यालय में उपस्थित हो जाऊंगा। इस पर मैं परिवादी को वहीं छोड़कर अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर एसीबी कार्यालय आया हूँ। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो परिवादी द्वारा कानिस्टेबल को बताये गये कथनों की पुष्टि हुई। फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री देवदान सिंह कानि. 425 द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द शुदा को श्री भोजराज सउनि को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। समय 05.00 पीएम पर परिवादी के बताये अनुसार दिनांक 12.02.2025 को ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना है। अतः दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान की तलबी हेतु सहायक निदेशक कृषि विभाग, झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक 151 दिनांक 11.02.2025 मुर्तिब कर श्री शीशराम कानि. नं. 126 को पत्र देकर कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विभाग, झालावाड़ जाकर गवाहान को पाबन्द कराने हेतु रवाना किया गया। समय 05.50 पीएम पर श्री शीशराम कानि. नं. 126 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), झालावाड़ का जारी शुदा पत्र क्रमांक 4848-50 दिनांक 11.02.2025 से श्री गोविन्द कुमार नागर कृषि अधिकारी झालावाड़ मो.नं.[redacted] व श्री लीलाधर सुमन कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय गोगरोन मो.नं. [redacted] को स्वतंत्र गवाह मनोनित करने का पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया, जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 12.02.2025 समय 08.30 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), झालावाड़ से कार्यालय में उपस्थित आये, जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम लीलाधर सुमन पुत्र श्री राधाकिशन सुमन जाति माली उम्र 26 साल निवासी राडी के बालाजी रोड़ झालावाड़ हाल कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय गागरोन कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार झालावाड़ मो.नं.[redacted] व दूसरे ने अपना नाम गोविन्द कुमार नागर पुत्र श्री राधेश्याम नागर जाति धाकड़ उम्र 32 साल निवासी सांकलीखेड़ा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल कृषि अधिकारी कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विस्तार झालावाड़ मो.नं. [redacted] होना बताया। जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा समझाईस कर कार्यालय में बैठाया गया। समय 08.40 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री इन्द्रसिंह ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि वह अपने साथ कल दिनांक 11.02.2025 को आरोपी पटवारी से हुई रिश्वत मांग अनुसार 4,000रूपये लेकर आया है। पटवारी जी ने आज 4,000रूपये अपने ऑफिस में ही लाकर देने के लिए कहा था। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री गोविन्द कुमार नागर कृषि अधिकारी व श्री लीलाधर सुमन कृषि पर्यवेक्षक से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री इन्द्रसिंह द्वारा दिनांक 11.02.2025 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढकर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। समय 08.50 एएम पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री गोविन्द कुमार नागर कृषि अधिकारी व श्री लीलाधर सुमन कृषि पर्यवेक्षक की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि दिनांक 11.02.2025 को परिवादी श्री इन्द्रसिंह एवं आरोपी श्री रामनिवास टोडवाल पटवारी के मध्य परस्पर रिश्वत राशि मांग की गोपनीय सत्यापन वार्ता हो चुकी है, जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOXN BL MADE IN CHINA) में रिकॉर्ड है। दिनांक 11.02.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री इन्द्रसिंह के समक्ष वार्ता को लेपटॉप में अलग से लगे स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री रामनिवास पटवारी की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.20 एएम पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने दोनों स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्द कुमार नागर कृषि अधिकारी व श्री लीलाधर सुमन कृषि पर्यवेक्षक के समक्ष अपने पास से आरोपी श्री रामनिवास टोड़वाल पटवारी की मांग अनुसार उसे देने हेतु शेष रिश्वत राशि के 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000 रूपये भारतीय मुद्रा के अपने पास से निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक

ने परिवादी व सरकारी स्वतंत्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 4,000 रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री लीलाधर सुमन से परिवादी श्री इन्द्रसिंह की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुए कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री इन्द्रसिंह की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात रिश्वत राशि कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनों हाथ फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों को रिश्वती राशि के लेनदेन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतंत्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेनदेन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि. से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डालकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलावाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री गोविन्द कुमार नागर कृषि अधिकारी व श्री लीलाधर सुमन कृषि पर्यवेक्षक एवं परिवादी श्री इन्द्रसिंह को दृष्टांत देकर समझाईस की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धूलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टांत के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास को व फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। अन्य प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्धी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि. एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वती लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री इन्द्रसिंह को सुपुर्द किया गया। उक्त दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टांत मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 01.10 पीएम पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने बताया कि श्री रामनिवास पटवारी जी ने आज मुझे मनोहरथाना में स्थित उनकी किराये की दुकान पर रिश्वत राशि 4,000 रूपये लेकर बुलाया है। आज पटवारी जी मनोहरथाना ही मिलेगें। इस पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह को उसकी मोटरसाईकिल से मनोहरथाना की ओर रवाना किया तथा परिवादी के पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीना मय दोनों स्वतंत्र गवान श्री लीलाधर सुमन व श्री गोविन्द कुमार नागर एवं एसीबी जाब्ता श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक, श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. नं. 28, श्री शिवराज कानि. नं. 166, श्री शीशराम कानि. नं. 126 मय चालक श्री छोटूलाल कानि. नं. 534 के ट्रेप बॉक्स लेपटॉप, प्रिन्टर के मय सरकारी व प्राईवेट वाहन से बजानिब मनोहरथाना की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 03.20 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री लीलाधर सुमन व श्री गोविन्द कुमार नागर एवं एसीबी जाब्ता श्री साजिद खान पुलिस निरीक्षक, श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. नं. 28, श्री शिवराज कानि. नं. 166, श्री शीशराम कानि. नं. 126 मय चालक श्री छोटूलाल कानि. नं. 534 मय ट्रेप बॉक्स लेपटॉप, प्रिन्टर के सरकारी व प्राईवेट अपने-अपने वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ से रवाना होकर मनोहरथाना तहसील के नजदीक अम्बा मेडिकल स्टोर के पास रूके। परिवादी श्री इन्द्रसिंह भी अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास आया। परिवादी श्री इन्द्रसिंह को पुनः समझाईस कर आरोपी की दुकाननुमा ऑफिस के लिए रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनों वाहनों को साईड में खड़ा करवाकर वाहनों से उतरकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान मय जाब्ता के तहसील की पीछे अम्बा मेडिकल के बायीं साईड में स्थित दुकाननुमा ऑफिस से कुछ

दूरी पर मोड़ पर जहां से पटवारी का दुकाननुमा ऑफिस दिखायी दे रहा था, उस स्थान पर अपनी-अपनी उपस्थित छुपाते हुए ट्रेप जाल बिछाया तथा परिवादी श्री इन्द्रसिंह के ईशारे की प्रतीक्षा में मुकीम हुआ। समय 03.43 पीएम पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह ने अम्बा मेडिकल गली में बायीं साईड में स्थित एक दुकाननुमा ऑफिस के बाहर खडे होकर गली के कोने में खडे हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की और सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि देने का ईशारा किया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाब्ते को अपने पीछे आने का ईशारा कर परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी ने दुकाननुमा ऑफिस में टेबल कुर्सी पर ब्लैक कलर की जेकिट पहने बैठे एक व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही रामनिवास पटवारी जी है, जिन्होंने मुझसे अभी-अभी चारागाह भूमि पर खेती का जुर्माना चालू करवाने की एवजी में 4,000 रूपये प्राप्त कर अपनी पहनी हुई क्रीम कलर की शर्ट की सामने की बायीं जेब में रखे है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना व टीम का परिचय देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम रामनिवास पुत्र स्व0 श्री छीतरलाल जाति बैरवा उम्र 59 साल निवासी पीपाखेडी रोड सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड होना बताया। अभी-अभी परिवादी से प्राप्त किये गये 4,000रूपयों के बारे में पूछा कि किस बात के लिए है, तो आरोपी पटवारी ने बताया कि इसकी कब्जे शुदा सरकारी खेती की जमीन का जुर्माना जमा करने आया था, उसके प्राप्त किये है। इस पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह से पूछा तो उसने आरोपी की बात खण्डन करते हुए बताया कि मैं चारागाह सरकारी भूमि जो करिब 2.5 बीघा है, खेती करता हूँ, जिसका मैं हर साल जुर्माना जमा करवाता हूँ। जुर्माना सरकार में जमा करवाने से मेरी खेती की भूमि पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा नहीं कर ले तथा जुर्माना जमा करवाने से जमीन मेरे नाम ही बोलती है। इसलिए जमीन का जुर्माना जमा करवाना आवश्यक है। पिछले दो साल से जमीन का जुर्माना आना बन्द हो गया, तो मैं जुर्माना चालू करवाने के लिए हमारे हल्का पटवारी श्री रामनिवास जी से मिला तो उन्होने मुझसे कहा जमीन का जुर्माना ऐसे चालू नहीं होगा, तुम्हें खर्चे पानी के 5,000रूपये मुझे देने पडेगें। इस पर उस समय मेरे पास 1,000रूपये पडे हुए थे, जो मैंने पटवारी जी को दे दिये तथा 4,000 रूपये मैंने बाद में देने के लिए कहा था। इस पर मैंने कल दिनांक 11.02.2025 को एसीबी कार्यालय झालावाड में आकर श्री रामनिवास पटवारी के विरूद्ध रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाने बाबत् प्रार्थना पत्र आपको दिया था। जिस पर आप द्वारा रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया था। पटवारी जी की मांग अनुसार ही मैंने 4,000 रूपये खर्चे पानी के इन्हे दिये है। पटवारी जी झूठ बोल रहे हैं कि यह राशि कब्जे शुदा सरकारी खेती की जमीन का जुर्माना जमा कराने की है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी से रिश्वत राशि 4,000 रूपये के बारे में पूछा तो उसने अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब में रखे होना बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आरोपी पटवारी का बायां हाथ श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक एवं दाहिना हाथ श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 ने कलाई के ऊपर से पकडे। एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर उसमें पानी डालकर घोल तैयार करवाया गया तथा आरोपी श्री रामनिवास के दाहिने हाथ की अगूंलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिनको हाजरिन को दिखाकर दो कांज की शीशीयों में आधा-आधा डालकर शिल्ड चस्पा मोहर किया जाकर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। इसके बाद एक दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया घोल का रंग रंगहीन था उसमें आरोपी श्री रामनिवास के बायें हाथ की अगूंलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग बदलकर गुलाबी हो गया, जिसको हाजरिन को दिखाकर दो कांच की शीशीयों में आधा-आधा भरकर शिल्ड चस्पा मोहर अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी पटवारी श्री रामनिवास ने रिश्वत राशि 4,000रूपये अपनी पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब में रखे होना बताया है। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्द कुमार नागर को आरोपी की तलाशी लेने के निर्देश दिये गये। इस पर पटवारी ने अपनी बायीं जेब से रिश्वत राशि 4,000रूपये निकालकर टेबल पर रख दिये। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त रिश्वत राशि के नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट एवं दृष्टांत से मिलान करने हेतु निर्देश दिये गये तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने उक्त 4,000रूपये रिश्वत राशि के नोटों का मिलान कर हूबहू होना बताया जो निम्न प्रकार है – 1. एक नोट 500 रूपये का नम्बर 9ES 305994, 2. एक नोट 500 रूपये का नम्बर 2FM 043076 3. एक नोट 500 रूपये का नम्बर 3RC 322919 4. एक नोट 500 रूपये का नम्बर 1PB 775922 5. एक नोट 500 रूपये का नम्बर 1HN 781059 6. एक नोट 500 रूपये का नम्बर 8KC 550210 7. एक नोट 500 रूपये का नम्बर 8FV 533640 8. एक नोट 500 रूपये का नम्बर 8DV 939311 है। उक्त रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 08 नोटों को एक पीले कलर के लिफाफे में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिये गये। रिश्वत राशि आरोपी की पहनी हुई क्रीम कलर की शर्ट की बायीं साईड की जेब में मिली थी, जिसका धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर आरोपी की शर्ट उतरवाकर शर्ट की जेब को उलटवाकर उक्त घोल में डुबोकर धोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो कांज की शीशीयों में आधा-आधा भरवाकर शिल्ड चस्पा मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एस-1, एस-2 अंकित कर कब्जे एसीबी लिये गये। शर्ट की जेब को

सुखाकर उस पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट को लपेटकर एक कपडे की थेली में रखकर शिल्ड मोहर चस्पा कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शर्ट की थेली पर मार्क-एस अंकित कर कब्जे एसीबी लिया गया। धोवन में काम में लिये गये प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों को नष्ट करवाया गया। रिश्वत राशि 500-500 रूपये के 08 नोट कुल 4,000 रूपये बरामद करते समय व हाथ धुलाई, शर्ट धुलाई की श्री शीशराम कानि. नं. 126 से जरिये मोबाईल वीडियोग्राफी करवाई गई। फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई की विस्तृत फर्द तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 05.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में परिवादी श्री इन्द्रसिंह की निशानदेही पर दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लीलाधर सुमन व श्री गोविन्द कुमार नागर के समक्ष घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका घटनास्थल कशीद किया जाकर मूर्तिब किया गया, नक्शा मौका हाजरीन को दिखाया व समझाया गया, जिस पर हाजरीन ने सुन समझ देखकर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। मूर्तिबशुदा नक्शा मौका घटनास्थल को शामिल पत्रावली किया गया। समय 05.20 पीएम पर परिवादी श्री इन्द्रसिंह व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री लीलाधर सुमन व श्री गोविन्द कुमार नागर की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर आज दिनांक 12.02.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री इन्द्रसिंह की आरोपी श्री रामनिवास पटवारी के मध्य उसकी तहसील के पीछे अम्बा मेडिकल गली में बायीं साईड में रामदयाल जी के मकान में स्थित दुकाननुमा ऑफिस, मनोहरथाना में वार्ता हुई थी। उक्त वार्तालाप को परिवादी को सुपुर्द ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। अतः उक्त वार्तालाप को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटोप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री इन्द्रसिंह के समक्ष वार्ता को स्पीकर ऑन कर सुनाया गया, तो वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री इन्द्रसिंह द्वारा एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री रामनिवास पटवारी की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटोप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 द्वारा तैयार करवाकर सम्बंधितों के अपने-अपने हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.20 पीएम पर आरोपी श्री रामनिवास पुत्र स्व0 श्री छीतरलाल जाति बैरवा उम्र 59 साल निवासी पीपाखेडी रोड सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 11.02.2025 को परिवादी श्री इन्द्रसिंह द्वारा आपसे आपकी किराये की ऑफिसनुमा दुकान मनोहरथाना में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हुई थी तथा आज दिनांक 12.02.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री इन्द्रसिंह से आपकी वार्ता हुई है, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री इन्द्रसिंह द्वारा उसको एसीबी झालावाड द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु आरोपी को जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो, आरोपी श्री रामनिवास ने फर्द पर ही स्वयं के हस्तलेख में लिखकर दिया कि 'मैं अपनी आवाज का नमूना स्वैच्छा से नहीं देना चाहता' अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार शुदा पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 06.40 पीएम पर आरोपी श्री रामनिवास पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड के विरूद्ध जुर्म धारा 7 पीसी एक्ट संशोधित 1988 (यथा संशोधित 2018) के तहत दण्डनीय अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं आधारों की पूर्ण सूचना दी जाकर उसके संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण पालना करते हुये जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री लीलाधर सुमन से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपडों के अलावा अन्य कोई संदिग्ध वस्तु इत्यादी नहीं मिली। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार पुत्र श्री कुलदीप को जरिये मोबाईल [redacted] पर दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 07.00 पीएम पर आरोपी श्री रामनिवास उक्त ऑफिस को निवास के रूप में भी काम में लेता है तथा आरोपी द्वारा पूर्व में भी रिश्वत प्राप्त कर अपने दुकाननुमा ऑफिस में रखने की सम्भावना होने से खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक है। आरोपी से सहमती प्राप्त कर नियमानुसार खाना तलाशी प्रारम्भ की गई। खाना तलाशी की श्री शीशराम कानि. नं. 126 के द्वारा जरिये मोबाईल वीडियोग्राफी करवायी गयी। खाना तलाशी में कोई संदिग्ध राशि एवं वस्तु, स्वर्ण आभुषण व बहुमूल्य दस्तावेज नहीं पाये गये। फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा फर्द खाना तलाशी की एक प्रति आरोपी श्री रामनिवास को निःशुल्क दी गयी। समय 07.20 पीएम पर दिनांक 11.02.2025 को परिवादी श्री इन्द्रसिंह व आरोपी श्री रामनिवास पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 12.02.2025 को समय 08.50 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 12.02.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री इन्द्रसिंह व आरोपी श्री रामनिवास पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला के मध्य वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 12.02.2025 को समय 05.20 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताऐं कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड थी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय लेपटॉप में लगाकर मन् अतिरिक्त पुलिस

अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 के द्वारा लेपटॉप में डीवीडीयां लगाकर ब्रन कराकर चार क्लोनिंग डीवीडीयां तैयार करवायी गयी। चारों डीवीडीयों व मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा चारों डीवीडीयों में से एक डीवीडी आरोपी श्री रामनिवास के लिये, एक डीवीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक डीवीडी माननीय न्यायालय हेतु कपडे की थेली में अलग-अलग रखकर तीनों डीवीडीओं को सील मोहर की गई तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर खुली रखी गयी तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB C10 A1 micro SD HC I 9321DVCRPOXN BL MADE IN CHINA) में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपडे की थेली में रखकर शिल्डचिट किया गया तथा फर्द बरामदगी के समय आरोपी की हाथ धुलाई एवं रिश्वत राशि जब्ती के दौरान श्री शीशराम कानि. नं. 126 द्वारा मोबाईल से वीडीओ रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को लेपटॉप में जोडकर दो डीवीडी तैयार करवाई गई, जिसमें से एक माननीय न्यायालय के लिये व एक अनुसंधान अधिकारी हेतु कपडे की थेली में अलग-अलग रखकर दोनों डीवीडीओं को सील मोहर की गई। तत्पश्चात् खाना तलाशी के दौरान श्री शीशराम कानि. नं. 126 द्वारा मोबाईल से वीडीओ रिकॉर्डिंग करवाई गई थी, मोबाईल को लेपटॉप में जोडकर दो डीवीडी तैयार करवाई गई, जिसमें से एक माननीय न्यायालय के लिये व एक कार्यालय हेतु कपडे की थेली में अलग-अलग रखकर दोनों डीवीडीओं को सील मोहर की गई। उक्त कार्यवाही की फर्द डीवीडी क्लोनिंग एवं जब्ती मय मैमोरी कार्ड पृथक से तैयार करवाकर शिल्ड शुदा डीवीडीयों व मेमोरी कार्ड तथा फर्द पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी। समय 07.50 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् परिवादी श्री इन्द्रसिंह को मौके से रूखसत किया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दोनों स्वतंत्र गवाहान व एसीबी जाब्ता के जब्त शुदा रिश्वत राशि, धोवन के सेम्पल, आर्टिकल्स इत्यादी व गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री रामनिवास पटवारी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के जरिये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से एसीबी चौकी झालावाड के लिए रवाना होकर समय 10.00 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय झालावाड पहुंचा। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से बरामद शुदा रिश्वत राशि 4,000 रूपये का लिफाफा तथा धोवन के सेम्पल, आर्टिकल्स इत्यादि मालखाना प्रभारी श्री भोजराज सउनि को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना जमा करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान को रूखसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 11.02.2025 को परिवादी श्री इन्द्रसिंह पुत्र श्री बद्दा जाति भील उम्र 45 साल निवासी मोग्याबेह पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड ने ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होकर एक लिखित पार्थना पेश कर मजमून पर बताया कि 'मैं गांव मोग्याबेह का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 10 साल से चारागाह भूमि पर खेती करता आ रहा हूँ, जो करीब 2.5 बीघा है, जिसका सरकार की तरफ से हर साल जुर्माना आता था, जिसे मैं समय पर जमा करवाता था, जिसकी मेरे पसा रसीदें भी है, लेकिन पिछले दो साल से उक्त जमीन का जुर्माना आना बंद हो गया, तो मैं हमारे पिण्डोला हल्का के पटवारी श्री रामनिवास जी से मिला तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी जमीन का जुर्माना ऐसे चालू नहीं होगा, तुम्हें खर्चे पानी के 5,000 रूपये देने पडेगें। मेरे पास उस समय 1,000रूपये थे, जो उन्होने ले लिए तथा 4,000 रूपये और लाने को कहा है। इस पर उस दिन दिनांक 11.02.2025 को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने पर परिवादी के कथनों की पुष्टि हुई। इस पर दिनांक 12.02.2025 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर आरोपी श्री रामनिवास पटवारी को उसके दुकाननुमा ऑफिस मनोहरथाना में परिवादी से 4,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने हुए रंगे हाथों पकडा गया। रिश्वत राशि उसकी पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब से बरामद की गई। आरोपी के दोनों हाथों का धोवन गुलाबी व पहनी हुई शर्ट की सामने की बायीं जेब का धोवन हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 11.02.2025, वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 12.02.2025, फर्द बरामदगी दिनांक 12.02.2025 व उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया। अतः आरोपी श्री रामनिवास पुत्र स्व0 श्री छीतरलाल जाति बैरवा उम्र 59 साल निवासी पीपाखेडी रोड सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो, जयपुर को सादर प्रेषित है। भवदीय, (जगराम मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड। ....कार्यवाही पुलिस ....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगराम मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो झालावाड़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी रामनिवास पुत्र स्व0 श्री छीतरलाल जाति बैरवा उम्र 59 साल निवासी पीपाखेडी रोड सातलखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल पटवारी पटवार हल्का पिण्डोला तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई । उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द, उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बांरा को मनोनित किया गया है । उक्त की रोजनामचाआम रपट संख्या 210 पर अंकित है । (

ज्ञानसिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 148-51 दिनांक 13.02.2025, प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है- 1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोटा, 2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो कोटा, 3.जिला कलक्टर झालावाड़, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो झालावाड़। पुलिस अधीक्षक प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PREM CHAND MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 13.02.2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1966				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)